विवाह आपसी सहमति के आधार पर विच्छेदित किया जाये।

3. दोनों पक्षों में सुलह के प्रयास असफल रहे और पक्षकार साथ-साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुए। पक्षकारों द्वारा यह कहा गया है कि उनका बतौर पति पत्नी साथ-साथ रहना संभव नहीं है क्योंकि उनके विचार आपस में नहीं मिलते हैं।

4. पक्षकारों द्वारा संयुक्त शपथपत्र दाखिल किया गया है तथा शादी कार्ड, शादी की फोटो एवं पहचान के रूप में आधार कार्ड व सरकारी सेवा से सम्बन्धित पहचान कार्ड दाखिल किये गये हैं।

5. मैने उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. पक्षकारों द्वारा दाखिल संयुक्त शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि उनका विवाह दिनांक 20.10.2018 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। विवाह के बाद याचीगण के मध्य छोटी-छोटी बातों को लेकर मतभेद इतने अधिक उत्पन्न हो गये कि उनका एक साथ रहना संभव नहीं हो सका। पक्षकार दिनांक 13.11.2018 से अलग-अलग रह रहे हैं। इस दौरान उनके मध्य कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुये। अतः मैं सन्तुष्ट हूं कि याचिका सद्भावी है और पक्षकारों के मध्य कोई दुरभि संधि नहीं है। याचिका बिना किसी दबाव व धोखाधड़ी के प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी परिस्थिति में पक्षकारों की याचिका बावत विवाह विच्छेद अन्तर्गत धारा-13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम आज्ञप्ति किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत याचिका आज्ञप्त की जाती है। पक्षकारों के मध्य दिनांक 20.10.2018 को सम्पन्न विवाह, हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा-13बी के अन्तर्गत विच्छेदित किया जाता है। पक्षकार अपना-अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

10.7.20

दिनांक: 10.07.2020

(राजेश कुमार-प्रथम)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, आगरा।

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

10.7.20

दिनांक: 10.07.2020

(राजेश कुमार-प्रथम)
प्रधान न्यायाधीश,
परिवार न्यायालय, आगरा।

सत्य प्रतिलिपि

प्रधान प्रतिलिपिक
परिवार न्यायालय
आगरा

PHOTOSTATE BY
W... 400

Scanned with CamScanner

परिवार न्यायालय, आगरा।

उपस्थित–राजेश कुमार–प्रथम, एच0जे0एस0

CNRNO UPAG020044522019

वाद संख्या–2525/2019

योगेश कुमार सिंह पुत्र श्री रामअवतार निवासी–223ए वृज विहार कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर वर्तमान पता–रेलवे ऑफिसर्स रेस्ट हाउस, आगरा। उम्र करीब 30 वर्ष।

—याची सं0–1

एवं

श्वेतता चन्द्रा पत्नी श्री योगेश कुमार सिंह पुत्री श्री गिरीश चन्द्रा निवासी–1218ए, सेक्टर–आई0 कानपुर रोड, एल0डी0ए0 कॉलोनी लखनऊ। उम्र करीब 28 वर्ष।

—याची सं0–2

–: नि र्ण य :–

1. याची संख्या–1 योगेश कुमार सिंह तथा याची संख्या–2 श्रीमती श्वेतता चन्द्रा ने प्रस्तुत याचिका धारा–13बी हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत पक्षकारों के मध्य सम्पन्न हुये विवाह को आपसी सहमति के आधार पर विच्छेदित किये जाने हेतु प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में पक्षकारों के अनुसार उनका विवाह दिनांक 20.10.2018 को हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। याचीगण के संसर्ग से कोई सन्तान पैदा नहीं है। याची संख्या–1 रेलवे में ऑफिसर है तथा याची संख्या–2 उ0प्र0 सरकार के अन्तर्गत सेवारत है। याची संख्या–2 ने विवाह उपरान्त याची संख्या–1 के साथ आगरा में रहकर दाम्पत्य सम्बन्धों की स्थापना की। विवाह के कुछ दिनों बाद याचीगण का विचारों व अन्य बातों को लेकर आपस में मतभेद होने लगा जो लगातार बढ़ता ही गया और छोटी–छोटी बातों को लेकर इतनी कटुता हो गई कि उनका बतौर पति–पत्नी साथ रहना सम्भव नहीं रहा। पक्षकार दिनांक 13.11.2018 से अलग–अलग रह रहे हैं। इस दौरान उनके मध्य कोई वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुये है। याचिका में उल्लिखित तथ्यों के तहत पक्षकार पारस्परिक आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद कराना चाहते है। याचिकाकर्ताओं के मध्य एक–दूसरे पर किसी प्रकार का कोई लेन–देन शेष नहीं है, ना ही इस सम्बन्ध में एक–दूसरे पर क्लेम करेंगे और भविष्य में याची संख्या–1 को याची संख्या–2 से तथा इसी प्रकार याची संख्या–2 को याची संख्या–1 से कुछ भी लेना–देना शेष नहीं है। इस याचिका के अलावा अन्य कोई विवाह विच्छेदन की याचिका भारतवर्ष के किसी भी न्यायालय में लम्बित नहीं है। पक्षकारों के मध्य आपस में कोई दुरभिसन्धि नहीं है। अतः पक्षकारों द्वारा याचना की गयी है कि उनके मध्य सम्पन्न

–2–